

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 17/16

दायरा दिनांक 06.12.2016

पीठासीन अधिकारी :- राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. जगीर सिंह पुत्र रामसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

— प्रार्थी

बनाम

1. हरजीत सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

— अप्रार्थी

उपस्थित

1. श्री नरेश कुमार नागर, अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री सत्यानारायण गोयल — अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 18.04.2006, अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू.

राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय

दिनांक 23.02.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थी को किया गया आवंटन ग्राम बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां के माल की आराजी खसरा संख्या 266 रकबा 5 बीघा अपूर्ण प्रक्रिया द्वारा किये जाने से व अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। उक्त आवंटन पत्र में पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश कर केवल आवंटी के नाम की 5 बीघा 6 बिस्वा सिंचित आराजी होना बताया गया जबकि आवंटी के पिता के नाम सामलाती खाते की 53 बीघा 03 बिस्वा आराजी खाते में होना नहीं बताया इस कारण से उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। तथा आराजी पर आवंटी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कोई कब्जा काश्त है। वक्त आवंटन आवंटी को 5 बीघा का गलत आवंटन किया गया था परन्तु आवंटी व राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत करके खाली आराजी नहीं होने के कारण षडयन्त्र पूर्वक आपराधिक कृत्य करके 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी का आवंटन खोल दिया जो गलत होने से निरस्तनीय है। उक्त आवंटन से पूर्व सार्वजनिक स्थल पर उद्घोषणा जारी नहीं की गई बिना उद्घोषणा के किया गया आवंटन निरस्तनीय है तथा वक्त आवंटन भूमि खाली नहीं थी उक्त भूमि आवूयपाईड भूमि की श्रेणी में आती है। आवंटन के पूर्व से प्रार्थी उक्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण आवंटन निरस्तनीय है। 80 वर्षों से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता उक्त आराजी पर काबिज काश्त है जो नियमित रूप से काबिज काश्त है प्रार्थी ने उक्त भूमि को कडी मेहनत करके काबिज काश्त योग्य बनाया है तथा इस वर्ष भी प्रार्थी ने ही उक्त भूमि पर फसल काश्त की है तथा कब्जे में है। आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है आवंटन के प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष पूर्ण भूमि पर काश्त करना अनिवार्य है लेकिन आवंटी ने आवंटी की शर्तों का पालन नहीं किया इसलिए आवंटन निरस्तनीय

है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर वेबा का नाजायज फायदा उठाकर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी तथा प्रार्थी उक्त भूमि को रहन बैचान करने पर आमादा है अतः अप्रार्थी के खिलाफ प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावे। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा है। 80 वर्षों से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता काबिज काश्त है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान Citation 2012(2) DNJ (RAJ) 729 प्रस्तुत कर कथन किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 22 नियम 3, 9 तथा धारा 100 द्वितीय अपील मृतका "बी" के एक विधिक प्रतिनिधि अपीलान्ट "के" की अपील के विचाराधीन मृत्यु हुई-उपशमन को अपास्त करने की प्रार्थना पत्र के बगैर एक वर्ष से अधिक के बाद विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन पेश किया मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पेश नहीं किया-सम्पूर्ण अपील उपशमित हुई व खारिज की मृतका "के" तथा रेस्पोंडेण्ट के बीच डिक्री अन्तिम हुई-सुयक्त व अविभाज्य डिक्री-निर्णीत, सम्पूर्ण अपील उपशमित हुई तथा अपील में विधि का सारभूत प्रश्न अन्तर्गत नहीं है व खारिज की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावे। आवंटन अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक है। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नहीं की है, ना ही आवंटन बाबत खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरुद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.04.2006 को अप्रार्थी हरजीतसिंह पुत्र कर्मसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज को ग्राम बादीपुरा की आराजी खसरा नं. 266 रकबा 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)